

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक : 4/12/2015

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं -


क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	105/2006	श्री राजेश कुमार गर्ग अनुसंधान अधिकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर	4/68, गांधीनगर	31.03.2029
2	149/2010	श्री कपिल कुमार सिंघल कनिष्ठ लिपिक निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	4/115, गांधीनगर	30.6.2032
3	167/2010	श्री राजेश कुमार खटाना उप निरीक्षक पुलिस मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर	4/81, गांधीनगर	28.2.2034
4	169/2010	श्री सुरेश कुमार खिंची कनिष्ठ लिपिक राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, जयपुर	4/80, गांधीनगर	31.3.2036
5	171/2010	श्रीमती शुभलता वरिष्ठ अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानिया, जयपुर	4/94, गांधीनगर	31.10.2023
6	172/2010	श्री राजकुमार मीणा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय सम्पदा विभाग, जयपुर	4/123, गांधीनगर	31.1.2032
7	173/2010	श्री रामकिशोर मीना कनिष्ठ अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बनीपार्क, जयपुर	4/99, गांधीनगर	30.6.2042
8	174/2010	श्रीमती रश्मि गुप्ता प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	4/110, गांधीनगर	31.3.2047
9	1/2012	श्री अशोक कुमार बैरवा वरिष्ठ लिपिक प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/111, गांधीनगर	31.7.2034
10	33/2012	श्री अरविन्द कुमार छोलक वरिष्ठ लिपिक राजस्व (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/177, गांधीनगर (पुराना नम्बर एफ-990, गांधीनगर)	31.12.2028

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।


6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(महेन्द्र कुमार खोसला)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।
8. पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
11. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, शहर प्रथम, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानिया, जयपुर।
13. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनीपार्क, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0-खण्ड-तृतीय, जयपुर/जन स्वा0 अभि0 वि0, गांधीनगर, जयपुर/वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चरपा करावें।
19. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव